फैक्स/ई–मेल

संख्याः–जन॰ 112 /छः–पु0–5–2016

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांकः 14 मार्च, 2016

विषय–रिट याचिका संख्या–3268/एम0वी0/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कतिपय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया कि शासनादेश संख्या–7/रिट–914/छः–पु–5–14–रिट–401/2012, दिनांक 29.12.2014 द्वारा निर्गत शासनादेश के प्रस्तर 2 में नवीन शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत करने के सम्बन्ध में जो दिशा निर्देश निर्गत किये गये है, वह अन्य शासनादेश दिनांक 08.11.2013/09.12.2013/11.09.2014/30.09.2014/29.12.2014 से पृथक ध्वनित प्रतीत होते हैं।

2. इस सम्बन्ध में आपको स्मरण कराना है कि विचाराधीन जनहित रिट याचिका संख्या–3268/एम0वी0/2012 जितेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में समय–समय पर निम्नवत् शासनादेश निर्गत किये गये हैः–

क सं	मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश की तिथि	गृह विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुपालनार्थ निर्गत शासनादेश संख्या एवं दिनांकित
1	आदेश दिनांक 07.10.2013	संख्या–रिट–395/छः–पु–5–2013, दिनांक 08.11.2013.
2	आदेश दिनांक 25.11.2013	संख्या–रिट–403(1)/छः–पु–5–2013,दिनांक 09.12.2013.
3	आदेश दिनांक 06.09.2014	1–संख्या–रिट–661/छः–पु–5–2014, दिनांक 11.09.2014, 2–संख्या–4–रिट–608/छः–पु–5–2014, दिनांक 30.09.14.
4	आदेश दिनांक 13.11.2014	1–संख्या–6/रिट–913/छः–पु–5–14–रिट–401/2012, दिनांक 29.12.2014, 2–संख्या–7/रिट–914/छः–पु–5–14–रिट–401/2012, दिनांक 29.12.2014.

3. उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने के संबंध में दिनांक 07.10.2013 को यह अन्तरिम आदेश पारित किया कि "Till then, no fresh licences under the Arms Act will be issued in the State of Uttar Pradesh. This order will however, not apply to applicants claiming licence under family heirloom policy and to victims of crime, having genuine need of weapon in the opinion of concerned District Magistrate." तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 08.11.2013 निर्गत किया गया। उक्त के उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा इसी रिट याचिका में दिनांक 25.11.2013 को एक अन्य निर्देश के साथ–साथ निम्नवत् आदेश भी पारित किया गयाः–"Interim order passed on 07-10-2013 will continue till further orders." तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 09.12.2013 निर्गत किया गया।

कालान्तर में दिनांक 06.09.2014 को मा0 न्यायालय द्वारा यह उद्धृत किया गया कि "Sri Rishad Murtaza, Government Advocate has prayed for modification of interim order on the ground that National and International sports persons are required to be given license enabling them to participate in the shooting events in the country or abroad.

In view of above, we modify our order dated 25.11.2013 and permit State Government/Authorities to issue licenses to National and International sports persons only enabling them to participate in the shooting events, as per their specific requirements. जिसके अनुपालन में शासनादेश दिनांक 11.09.2014 निर्गत किया गया, जो कि सम्प्रति प्रभावी है।

4. अतः मा0 उच्च न्यायालय के उपरिउदधृत आदेशों से स्वतः स्पष्ट है कि सम्प्रति निम्नवत् श्रेणियों के शस्त्र लाइसेंस को छोडकर शेष नवीन शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने पर लगायी गयी रोक वर्तमान में भी यथावत प्रभावी है तथा जब तक मा0 न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रिट याचिका में कोई अन्यथा आदेश पारित नहीं किये जाते है, तब तक प्रभावी रहेगी :–

(1)–वास्तविक आवश्यकता के आधार पर वरासत के मामले।

(2)–वास्तविक आवश्यकता के आधार पर अपराध पीडितों के मामले।

(3)–केवल राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के सक्षम खिलाडियों को, जिन्हें विशेष आवश्यकता हेतु शूटिंग घटनाओं में प्रतिभाग करना है।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सभी शासनादेश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विषयक विचाराधीन रिट याचिका में समय–समय पर पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में यथासमय निर्गत किये गये है, अतएव उक्त समस्त शासनादेशों में निहित निर्देश को एक दूसरे से सम्पृक्त करते हुए समग्रता के साथ पढ़ा एवं समझा जाना चाहिए, जिससे कि किसी एक शासनादेश की व्यवस्था को लेकर रंचमात्र भी भ्रम एवं संदेह की स्थिति न रहे।

6. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त विषयक रिट याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में निर्गत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1)–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2)–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(3)–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव